न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच 0 जे0 एस 0)
(JO CODE UP2002)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1186/2026
CNR No. UPGH010027562026

गोलू बिन्द उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र कृष्णा बिन्द साकिन किशोहरी, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर।

––––––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उ०प्र० राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
2– विनोद कुमार कनौजिया पुत्र स्व० मोती राम कनौजिया निवासी ग्राम चिलार, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर।

–––––––विपक्षीगण

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1187/2026
CNR No. UPGH010027572026

अमन कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र मुसाफिर बिन्द साकिन भगवानपुर कठई, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर।

––––––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उ०प्र० राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
2– विनोद कुमार कनौजिया पुत्र स्व० मोती राम कनौजिया निवासी ग्राम चिलार, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर।

–––––––विपक्षीगण

मु०अ०सं०–129/2026
धारा–305(a),331(4),317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–नन्दगंज, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्तगण की ओर सेः श्री सुरेन्द्र कुमार, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

08–06–2026 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1186/2026 आवेदक/अभियुक्त गोलू बिन्द व प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1187/2026 आवेदक/अभियुक्त अमन कुमार ओर से मुकदमा अपराध संख्या–129/2026, धारा–305(a),331(4),317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। चूँकि उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या व एक ही घटना से संबंधित है तथा पृथक–पृथक प्रस्तुत किये गये है। अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ ही किया जा रहा है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विनोद कुमार कनौजिया द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का अभियोग दर्ज कराया गया कि दिनांक 25–04–

2026 को वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर मे ताला बंद करके शाम के समय अपने साढू रामजनम (पुत्र जयश्री राम) निवासी ग्राम दयालपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के घर उनकी लड़की की शादी समारोह में गया था। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे जब वह वापस आया तो उसके घर के ताले टूटे हुए मिले थे तथा घर के अन्दर देखा तो अलमारी बक्सो के ताले तोड़ करके उसमे रखे उसकी बहु, उसकी स्वर्गीय पत्नी और बच्चो के गहने सोने का हार –2, झुमका तीन लरिया –1, सोने की चेन –1, कान के Tops –2, मांगटिका, नथिया, बाली 2 सेट, अगुठी 16 सोने की, पायल चांदी का –7, करधनी–2 चाँदी का, चोटी चांदी की –1, हथिया चांदी का –2, चांदी के 4 सिक्के, सोने के 2 कड़े, सूई धाग–1, 30 हजार नगद अज्ञात चोरों द्वारा बक्से व अलमारी के ताले तोड़कर चुरा लिया गया था। उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 129/2026, अंतर्गत धारा 305(a),331(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता पाते हुए उसका चालान किया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता की अभिवृद्धि की गयी।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। कथित घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियोग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पुलिस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण में चालान किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 01–06–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर से चोरी की गयी है जिसके बाबत दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, फर्द बरामदगी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के घर में घुसकर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। दिनांक 01–06–2026 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात आवेदकगण/अभियुक्तगण के संस्वीकृति के आधार पर उन्हें प्रस्तुत मामले में नामित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त अमन कुमार के पास से पीली धातु का एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी सफेद धातु की पायल, 76,760/– रूपये व एक अदद मोटोरोला कम्पनी का एंड्राइड मोबाईल फोन बरामद होना बताया गया है। इसी प्रकार आवेदक/अभियुक्त गोलू बिन्द के पास से तीन जोड़ी सफेद धातु की पायल, चार अदद सफदे धातु के सिक्के, 75,150/– रूपये व एक अदद रेडमी कंपनी का एंड्राइड मोबाईल फोन बरामद होना बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास से बरामद धातु के गहने व रूपये वादी मुकदमा का होना बताया गया है, परन्तु प्रस्तुत फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित धाराएं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा आरोपित धाराओं में सात वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। यद्यपि कि अभियोजन द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है, परन्तु जहाँ तक आवेदकगण/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था **पवन कुमार पाण्डेय बनाम उ० प्र० राज्य** 2007 (1) JIC 680

(Lucknow Bench) में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 01–06–2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

6– अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण गोलू बिन्द व अमन कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को मुब० 50,000/– रूपये का स्व बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाता है कि –

(क)– आवेदकगण/अभियुक्तगण इस प्रकार का अपराध दोबारा नहीं करेंगे।

(ख)– आवेदकगण/अभियुक्तगण साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे अथवा मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।

(ग)– जब तक कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वे प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1187/2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः 08–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर
JO CODE UP2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.08 19:58:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court